राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

निगरानी रिफण्ड संख्या – 1489/2014/बीकानेर

श्री सत्यनारायण शर्मा पुत्र श्री भंवरलाल शर्मा,
हरीराम जी के मंदिर के पीछे, नोखा रोड, नई लाइन, गंगाशहर,
बीकानेर. .....प्रार्थी.

बनाम

उपमहानिरीक्षक पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक) बीकानेर. .....अप्रार्थी.

एकलपीठ

श्री राकेश श्रीवास्तव, अध्यक्ष

उपस्थित : :
श्री अशोक नाथ योगी, अभिभाषक .....प्रार्थी की ओर से.

श्री अनिल पोखरणा, उप–राजकीय अभिभाषक
.....अप्रार्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 20/10/2014

निर्णय

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी श्री सत्यनारायण शर्मा पुत्र श्री भंवरलाल शर्मा द्वारा राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 (जिसे आगे **'मुद्रांक अधिनियम'** कहा गया है) की धारा 65 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित किया गया है कि प्रार्थी श्री सत्यनारायण शर्मा द्वारा एक आवासीय भूखण्ड संख्या डी–7, चौपड़ा बाडी खसरा नं.5, गंगाशहर, बीकानेर में तादादी 646.81 वर्गफुट का श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री गिरधारी लाल से क्रय करते हुए उसका विक्रय पत्र पंजीयन कराने हेतु दिनांक 21.3.2013 को राशि रूपये 62500/– के स्टाम्प क्रय किये गये एंव उक्त स्टाम्प राशि रूपये 62500/– को विक्रय पत्र पर चस्पा करते हुए दिनांक 21.5.2013 को विक्रय पत्र का पंजीयन कराने हेतु उप पंजीयक, बीकानेर के कार्यालय में प्रस्तुत किये परन्तु दिनांक 21.5.2013 को विक्रय पत्र पंजीबद्ध नहीं हो पाया एंव उक्त स्टाम्प राशि रूपये 62500/– का उपयोग नहीं हो सका, जिसके कारण प्रार्थी द्वारा दिनांक 10.6.2013 को उपमहानिरीक्षक पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), बीकानेर के यहां प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त स्टाम्प राशि रूपये 62500/– का रिफण्ड चाहा, जिसका निस्तारण करते हुए उपमहानिरीक्षक पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), बीकानेर ने अपने आदेश दिनांक 19.5.2014 द्वारा प्रार्थी के आवेदन को अस्वीकार किया, जिससे व्यथित होकर प्रार्थी द्वारा यह निगरानी प्रार्थना पत्र कर बोर्ड में प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर उभय पक्ष को सुना गया एंव रेकार्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

क्रमश.....2.

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी द्वारा रिफण्ड का प्रार्थना पत्र उपमहानिरीक्षक पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), बीकानेर के समक्ष समयावधि में लगाया गया था परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण स्थिति को नजरअंदाज करते हुए आदेश दिया है, जो अविधिक होने निरस्तनीय योग्य है। अपनी तर्कों के समर्थन में प्रार्थी अधिवक्ता ने न्यायिक दृष्टांत 1993 आर. आर.डी. 497, 2004 आर.आर.डी. 564 एंव 2008 आर.बी.जे. पेज 20 प्रस्तुत कर बल दिया कि उनके द्वारा प्रस्तुत रिफण्ड प्रार्थना पत्र समयावधि में है एंव वो नियमानुसार रिफण्ड की कार्यवाही में होने वाली कटौती करवाने हेतु तैयार हैं। अतः उन्होंने स्टाम्प राशि रूपये 62500/— का रिफण्ड दिलवाते हुए उपमहानिरीक्षक पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), बीकानेर के आदेश दिनांक 19.5.2014 को निरस्त करने का निवेदन किया।

विद्वान उप—राजकीय अधिवक्ता ने यह कथन किया कि यह प्रकरण राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 की धारा 59(3) से आच्छादित है।

पत्रावली के अवलोकन से पाया गया कि प्रार्थी द्वारा स्टाम्प राशि रूपये 62500/— का क्रय दिनांक 21.3.2013 को किया गया है एंव इसका एक पक्षीय निष्पादन दिनांक 21.5.2013 को किया गया है तत्पश्चात उक्त स्टाम्प राशि रूपये 62500/— का उपयोग नहीं हो सकने के कारण प्रार्थी द्वारा दिनांक 10.6.2013 को उपमहानिरीक्षक पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), बीकानेर के यहां प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त स्टाम्प राशि रूपये 62500/— का रिफण्ड चाहा है जो उचित प्रतीत होता है। प्रार्थी द्वारा निगरानी के साथ मियाद अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र एंव शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया है, जिसको स्वीकारते हुए निगरानी का निस्तारण गुणावगुणों पर किया जा रहा है।

परिणामस्वरूप प्रार्थी की निगरानी स्वीकार की जाती है एंव मूल स्टाम्प राशि रूपये 62500/— प्रार्थी को लौटाते हुए कलेक्टर (मुद्रांक), बीकानेर के आदेश दिनांक 19.5.2014 को निरस्त करते हुए उनको अधिकृत किया जाता है कि उनके द्वारा प्रार्थी की ओर से विधिनुसार आवेदन किये जाने पर उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने के पश्चात इन अप्रयुक्त स्टाम्प्स की राशि रूपये 62500/— का नियमानुसार कटौती कर रिफण्ड प्रार्थी कम्पनी के अधिकृत व्यक्ति को किया जावे।

आदेश सुनाया गया।

(राकेश श्रीवास्तव)
अध्यक्ष